

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-प्र0-05/ल0ज0सं0/स्था0मु0-77/2014

44

/पटना, दिनांक-

20/02/24

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना द्वारा श्रीमती संगीता सिंह, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना और श्री प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्रदान की गई प्रोन्नति के आलोक में विभागीय मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के बीच कार्य आवंटन संबंधी विभागीय कार्यालय आदेश सं0-09 -सह-पठित जापांक-321 दिनांक-19.01.2024 और उक्त आदेश में संशोधन संबंधी निर्गत कार्यालय आदेश सं0-18, सह पठित जापांक-506, दिनांक-30.01.2024 में अंकित श्रीमती संगीता सिंह, 'संयुक्त सचिव', लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना और श्री प्रवीण कुमार, 'संयुक्त सचिव', लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पदनाम को 'अपर सचिव' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. विभागीय कार्यालय आदेश सं0-09 -सह-पठित जापांक-19.01.2024 और उक्त आदेश में संशोधन संबंधी निर्गत कार्यालय आदेश सं0-18, सह पठित जापांक-506, दिनांक-30.01.2024 में अंकित शेष प्रविष्टियों को यथावत् समझा जाये।

4. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(राजीव कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव

लघु जल संसाधन विभाग।

जापांक-

/पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:-डॉ0 आशिमा जैन, सचिव/श्रीमती शैलजा शर्मा, अपर सचिव/श्री प्रवीण कुमार, अपर सचिव/श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव/मो0 तारिक इकबाल, विशेष सचिव/ श्री सुशांत कुमार, संयुक्त सचिव/ श्री राजीव कुमार झा, अवर सचिव/श्री संजीव कुमार, अवर सचिव और श्री संतोष कुमार, अवर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

जापांक-

931

/पटना दिनांक-

20/02/24

प्रतिलिपि:-माननीय उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अभियंता प्रमुख/ मुख्य अभियंता, (योजना+अनुश्रवण+भू-गर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/तकनीकी प्रभारी-सह-अधीक्षण अभियंता, नलकूप कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी कर्मी/आईटी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

20.2